संख्या-348/2017/122/22-2-2017-17(235)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2017***

विषय:- जिला कारागार, झाँसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुरूषोत्तम सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी जनपद- झाँसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झाँसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुरूषोत्तम सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी म0न0'2, अन्दर लक्ष्मीगेट, थाना कोतवाली, जनपद-झाँसी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 13.08.1985 को 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सरिया एवं चाकू से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-173/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-4, झाँसी के आदेश दिनांक 14.11.1986 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.01.2014 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.07.2016 तक 02 वर्ष 05 माह 10 दिन की अपरिहार एवं 02 वर्ष 11 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी पुरूषोत्तम सिंह (बन्दी संख्या-417/14) पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी-जनपद-झाँसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-348/2017/122/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झाँसी।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in